छत्तीसगढ़ स्टेट सिविल सप्लाईज कार्पोरेशन लिमिटेड

दि हितवाद परिसर, अवंति विहार, मुख्यालय – रायपुर

कमांक/वा.विक्रय निविदा/2017/256

रायपुर, दिनांक 24-06-2017

पुराने वाहनों का विक्रय हेतु द्वितीय निविदा सूचना

निगम मुख्यालय में उपलब्ध 04 पुरानी कारों के विक्रय हेतु **'जहां है जैसा है'** के आधार पर निविदा आमंत्रित की जाती है। दिनांक 10.07.2017 को दोपहर 2.00 बजे तक बंद लिफाफे में लेटरपेड में निविदा प्राप्त की जावेगी एवं उक्त दिनांक को ही दोपहर 4.00 बजे निविदा खोली जावेगी ।

किसी भी निविदा को मान्य अथवा अमान्य किये जाने का अंतिम अधिकार प्रबंध संचालक को रहेगा। निविदा संबंधी नियम एवं शर्तों की जानकारी वेबसाईट www.cgstate.gov.in पर उपलब्ध है।

प्रबंध संचालक महोदय द्वारा अनुमोदित

प्रबंधक (चलित वाहन)

पुराने वाहनों के विक्रय हेतु निविदा शर्तें

निगम मुख्यालय में उपलब्ध 04 पुरानी कारों के विक्रय हेतु **'जहां है जैसा है'** के आधार पर निविदा आमंत्रित की जाती है। विवरण निम्नानुसार है :–

क.	वाहन कमांक	मेक / मॉडल
1.	CG 04 H 8258 (Car)	Tata Indigo 2006
2.	CG 04 H 8260 (Car)	Tata Indigo 2006
3.	CG 04 CS 6050 (Car)	Maruti Estime 2007
4.	CG 04 B 0936 (Car)	Tata Indica 2002

निविदा की शर्तें :–

1. वाहन 'जहां है जैसा है' के आधार पर विक्रय किया जावेगा।
2. वाहन क्रय हेतु निविदा दरें मुख्यालय में दिनांक 10.07.2017 के दोपहर 2.00 बजे तक बंद लिफाफे में लेटरपेड में निविदा प्राप्त की जावेगी एवं उक्त दिनांक को ही दोपहर 4.00 बजे निविदा खोली जावेगी ।
3. निविदा में भाग लेने वाले प्रत्येक निविदाकार को प्रति कार के लिए रू. 10,000/– अमानत राशि का छ.ग. स्टेट सिविल सप्लाईज कार्पोरेशन लिमिटेड मुख्यालय रायपुर के नाम से डिमांड ड्राफ्ट जमा करना अनिवार्य होगा। बिना अमानत राशि के निविदा स्वीकार नहीं की जावेगी।
4. निविदा के पूर्व वाहन एवं वाहन से संबंधित सभी कागजात का भली–भांति परीक्षण निगम मुख्यालय से कर लेवें / निविदा भरने के उपरांत किसी प्रकार का विवाद स्वीकार योग्य नहीं होगा।
5. निविदा स्वीकृत होने पर निविदाकार को स्वयं के खर्चे से वाहन की डिलेव्हरी एक सप्ताह में लेना होगा। अन्यथा निविदाकार की जमा अमानत राशि राजसात योग्य होगी।
6. वाहन लेने से पूर्व मूल्य की शेष राशि ड्राफ्ट के रूप में जमा कर निर्धारित विक्रयनामा हस्ताक्षर होने के उपरांत वाहन की डिलेव्हरी क्रेता को दी जावेगी।
7. किसी भी निविदा को स्वीकृत / अस्वीकृत करने का पूर्ण अधिकार प्रबंध संचालक को होगा।

प्रबंधक (चलित वाहन)